राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / टीए / 2005 / 5692 / कोटा

1– लक्ष्मीनारायण आत्मज श्री विशनलाल फौत
जरिये कायम मुकाम
1/1– छोटी बाई पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति धाकड
निवासी देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
1/2– घनश्याम आत्मज लक्ष्मीनारायण जाति धाकड़
निवासी देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
1/3– सुमित्रा बाई पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी स्व0शांतिलाल
जाति धाकड़ हाल निवासी श्रीनाथपुरम मकान
नंबर 126 कोटा।
1/4– बिज्रेन्द्र बाई पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी रामेश्वर जाति
धाकड़ निवासी सोगरिया तहसील लाडपुरा
जिला कोटा
1/5– प्रेमबाई पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी हरिमोहन जाति
धाकड़ निवासी बरखेड़ा तहसील अंता जिला बारां
1/6– निर्मला पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी बालकिशन जाति
धाकड़ निवासी महावीर नगर थर्ड 4सी 22 कोटा।

2– बजरंगलाल आत्मज श्री नंदलाल फौत जरिये कायम मुकाम
2/1– श्रीमति घीसी बाई पत्नी स्व0 बजरंगलाल
2/2– जुगलकिशोर पुत्र बजरंगलाल
2/3– कालूलाल पुत्र बजरंगलाल
2/4– रणजीत पुत्र बजरंगलाल
निवासीगण ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा
जिला कोटा।

....अपीलार्थीगण

बनाम

1– चौथमल आत्मज श्री अमरलाल जाति माली

2– हरीशचन्द्र आत्मज श्री अमरलाल फौत जरिये कायम मुकाम
2/1– श्रीमति नटटी बाई बेवा हरीशचन्द्र बेवा
2/2– रामचरण पुत्र
2/3– रामबिलास पुत्र
2/4– रघुवीर पुत्र
2/5– भेरूलाल पुत्र
2/6– श्रीमति द्वारका बाई पुत्री हरीशचन्द्र पत्नी बाबूलाल
जाति माली निवासी ग्राम पडासलिया तहसील दीगोद
पो0 उकलदा जिला कोटा
2/7– श्रीमति पार्वति बाई पुत्री हरीशचन्द्र पत्नी घनश्याम

जाति माली निवासी ग्राम पडासलिया तहसील दीगोद पो0 उकलदा जिला कोटाए

2/8– श्रीमति मनभर बाई पुत्री हरीशचन्द्र पत्नी छीतरलाल जाति माली निवासी ग्राम गिरधरपुरा प्रथम तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

3– रामचरण आत्मज श्री अमरलाल जाति माली

4– माधोलाल आत्मज श्री कालूजी जाति माली

4/1– श्रीमति पांची बाई विधवा पत्नी श्री माधोलाल जाति माली

4/2– रामप्रसाद आत्मज श्री माधोलाल जाति माली(फौत)

4/2/1– मुकेश सुमन पुत्र रामप्रसाद

4/2/2– सुरेश सुमन पुत्र रामप्रसाद

4/2/3– लक्ष्मी सुमन पुत्र रामप्रसाद

4/2/4– बद्री सुमन पुत्र रामप्रसाद

4/3– नारायण आत्मज श्री माधोलाल जाति माली

4/4– श्रीमति नन्दूबाई पत्नी श्री बजरंगलाल जाति माली पुत्र वधु

4/5– शंकर पुत्र श्री बजरंगलाल नाबालिग जरिये वली माता श्रीमति नन्दू बाई

4/6– गिरिराज आ0 श्री बजरंगलाल

4/7– नरेश आ0 श्री बजरंगलाल

4/8– महेन्द्र आ0 श्री बजरंगलाल

4/9– जीतू आ0 श्री बजरंगलाल

4/10– कुमारी लाडकुंवर श्री बजरंगलाल

4/11– श्रीमति गीता बाई पत्नी श्री धन्नालाल जाति माली निवासी ग्राम चान्दहेडी पोस्ट अरलिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

4/12– श्रीमति इन्द्रा पत्नी श्री हेमराज जाति माली निवासी ग्राम मंडिता पोस्ट कुन्दनपुर तहसील सांगोद जिला कोटा

4/13– श्रीमति विद्या पत्नी श्री मोडूलाल जाति माली निवासी ग्राम मवासा पो0 मवासा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

4/14– श्रीमति धन्नी पत्नी श्री जवाहर जाति माली निवासी परल्या पो0 अरल्या तहसील लाडपुरा जिला कोटा

5– कन्हैयालाल आत्मज श्री सूरजमल जाति माली

6– ग्यारसीलाल आत्मज श्री गोकुलचन्द जाति माली

7– मदनलाल आत्मज श्री गोकुलचन्द जाति पंजाबी

8– सोमनाथ आ0 श्री गोकुलचन्द जाति पंजाबी (फौत)
8/1– पप्पू आ0 श्री सोमनाथ जाति पंजाबी
निवासी ग्राम रायपुरा तहसील लाडपुरा कोटा
निवासीगण ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा
जिला कोटा।

9– श्रीमति चन्द्रबाई पुत्री श्री सूरजमल धर्म पत्नी श्री मोडूलाल
जाति माली निवासी ग्राम मवासा तहसील लाडपुरा कोटा

10– दी स्टेट ऑफ राजस्था

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष
श्री भंवर सिंह सान्दू, सदस्य

उपस्थित :–
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक अपीलार्थीगण

श्री, मुकेश जैन) अभिभाषक प्रत्यर्थीगण
श्री आर.पी. शर्मा)

निर्णय

दिनांक : 13 जुलाई, 2023

1– यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 18–10–2005 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 225 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2– इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या–1 चौथमल ने अपीलार्थीगण एवं शेष प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एक वाद अधिनियम की धारा 88, 89, 188 एवं 53 के तहत वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत् प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज

रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 4 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या–7 जो वर्तमान में अपीलार्थी है उसने उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया। विचारण न्यायालय ने दावा एवं जवाब दावा पेश होने पर तनकियात कायम की गयी। बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 6–1–2003 से दावा वादी डिक्री कर दिया। तत्पश्चात् वादी चौथमल जो वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या–1 है उसके द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 152 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 6–1–2003 में संशोधन करने हेतु प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र को विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 6–6–2005 के द्वारा खारिज कर दिया। विचारण न्यायलय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6–1–2003 एवं आदेश दिनांक 6–6–2005 के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या–1 चौथमल ने राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की तथा अपीलार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अपील में क्रोस ऑब्जेशन पेश कर कथन किया कि विचारण न्यायालय का निर्णय दिनांक 6–1–2003 एक पक्षीय है एवं साक्ष्य का विश्लेषण किये बिना तथा वर्तमान अपीलार्थी संख्या 1 व 2 की साक्ष्य लिये बिना तनकी संख्या 2 से 4 को निर्णय पारित किया गया है। उनका यह भी कथन रहा कि उनके द्वारा यह प्रमाणित कर दिया था कि वादग्रस्त आराजी माधोलाल, सूरजमल तथा अमरलाल के हिस्से की खरीदी है। अपीलार्थी संख्या–2 बजरंगलाल को यह आराजी लगभग 40 वर्ष पहले बेचान कर दी थी तथा अपीलार्थी लक्ष्मीनारायण को यह आराजी वाद प्रस्तुत करने के 20 पहले ही सन् 1980 में बेचान कर दी थी। खरीद की दिनांक से वाद ग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा है। बेचान निरस्त करने का अधिकारी केवल सिविल न्यायालय को है। उक्त क्रोस ऑब्जेशन का जवाब

पेश कर यह कथन किया गया कि पुश्तैनी आराजी का बिना विधिवत बंटवारे के कोई भी सह भागीदार स्पेशिपिक खसरा नबंरान का विक्रय नहीं कर सकता है। और इन्ही आधारों पर विचाराण न्यायालय ने तनकी संख्या 2 लगातय 4 के बाबत् कानूनी निर्णय पारित किया है। अपीलीय न्यायालय ने बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 18–10–2005 के द्वारा अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–6–2005 को निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि उनके द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6–1–2003 में पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देकर तनकीवार निर्णय को ध्यान मे रखते हुये प्रारम्भिक डिक्री में आवश्यक संशोधन करे। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–10–2005 के विरूद्ध यह द्वितीय अपील मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4– अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने प्रत्यर्थी संख्या–1 चोथमल द्वारा पेश की गयी अपील में निर्णय व डिक्री दिनांक 6–1–2003 एवं आदेश दिनांक 6–6–2005 की एक ही अपील को मेन्टेनेबल मानकर आक्षेपित निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा पेश किये क्रोस ऑब्जेशन को मेन्टेनेबल होना मानते हुये भी उन पर कोई निर्णय दिये बिना आक्षेपित निर्णय पारित किया है। उनका तर्क है कि विचारण न्यायालय ने वादी प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा चाही गयी विभाजन की डिक्री उसके पक्ष में पारित कर उसका हिस्सा पृथक करने का आदेश पारित कर दिया था। जिससे अपीलार्थी को कोई आपत्ति नहीं थी। इसी कारण अपीलार्थी ने विचारण

न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 6–1–2003 की अपील पेश नहीं की थी। क्योंकि अपील डिक्री की होती है और डिक्री में अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आदेश नहीं था। अन्य सह खातेदारान श्री मोधालाल सूरजमल एवं अमरलाल ने अपने हिस्से की भूमि में से अपीलार्थी को भूमि विक्रय की है तथा भूमि का विभाजन होने पर उनके द्वारा अपीलार्थी को विक्रय की गई भूमि उनके हिस्से में डाली जाएगी। इस कारण अपीलार्थी को विचारण न्यायालय की डिक्री दिनांक 6–1–2003 के विरूद्ध अपील पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिन सह खातेदारान से अपीलार्थी ने भूमि खरीद की है उन्होंने इस बेचान को कभी इनकार नहीं किया है एवं उन्होंने निर्णय व डिक्री दिनांक 6–1–2003 के विरूद्ध कोई अपील भी पेश नहीं की है। अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि के सदभावी क्रेता है तथा संपूर्ण प्रतिफल देकर ही भूमि को खरीद किया है। सह खातेदारान द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान वैध है तथा उनको अपने हिस्से तक भूमि विक्रय करने का पूर्ण अधिकार था। विक्रय पत्र निरस्त करने का राजस्व न्यायालय को अधिकार नहीं है। वादी स्वयं ने अपने वाद पत्र में अपीलार्थी के पक्ष में रजिस्र्ड विक्रय होना माना है तथा संपूर्ण खाते की भूमि में वह सिर्फ अपने हिस्से तक भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है तथा इसमें विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करने में कोई कठिनाई नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि धारा 151 एवं 152 सीपीसी के तहत इस प्रकार निर्णय व डिक्री में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अतः अपील स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–10–2005 निरस्त योग्य है। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये है :–

1– आर आर डी 2000 पेज 151 हाईकोर्ट
2– आर आर डी 1994 पेज 85
3– ए. आई. आर 2008 पेज 1931सप्ली (एससी)
4– आर आर डी 2019 पेज 332
5– आर आर डी 1992 पेज 173

6- डी एन जे 2013(3) पेज 668 (एससी)

7- डी एन जे 2017 पेज 415 (एससी)

5- विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण का तर्क है कि विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या-1 के पक्ष में तनकी संख्या 2 लगायत 6 निर्णीत की है। लेकिन निर्णय के ऑपरेटिव पोरशन को डिक्री में उनका अंकन नहीं किया गया था जिसे दुरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने जो आक्षेपित निर्णय पारित किया था और जिसके अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 7, 8 एवं अपीलार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध बेचान नामे को प्रभाव शून्य माना था। उसकी कोई अपील प्रत्यर्थी संख्या 5 व 6 के द्वारा नहीं की गयी। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने निर्णय के ऑपरेटिव पोरशन में संशोधन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। पैतृक सम्पत्ति जिसका विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है। उसको बिना विभाजन किये हुये एक सह खातेदार बिना अन्य सह खातेदारों की सहमति से विशिष्ट खसरा नंबर को विक्रय नहीं कर सकता है। क्यों कि प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सह खातेदार का हिस्सा होता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6-1-2003 के बाबत् पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर तनकीवार नि र्णय को ध्यान में रखते हुये प्रारम्भिक डिक्री में संशोधन के जो आदेश पारित किये है। वह विधि सम्मत है। अपील खारिज योग्य है।

6- हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

7- विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत वाद में दिनांक 6-1-2003 को निर्णय पारित करते हुये तनकी

संख्या 1 को वादी के हक में निर्णीत करते हुये वाद पत्र में अंकित भूमि कुल रकबा 45 बीघा 1 बिस्वा के 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्से का वादी को सह खातेदार मानते हुये विभाजन करा कर पृथक खाते लगवाने का अधिकारी माना है। तनकी संख्या–2 आया प्रतिवादी संख्या–1 ने प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 6 को अपने हिस्से की जमीन को बिना विभाजन कराए किये गये बेचान को अवैध मानते हुये तनकी संख्या 2 वादी के हक में निर्णीत की गयी है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 व अन्य ने प्रतिवादी संख्या 8 को भी बिना विभाजन कराए बेचान की गयी भूमि को भी विधि विरूद्ध मानते हुये तनकी संख्या 2 के अनुरूप ही निर्णीत किया है। तनकी संख्या–4 को भी बिना विधिवत बंटवारे किये प्रतिवादी संख्या–7 को किये गये विक्रय को विधि विरूद्ध मानते हुये निर्णित किया है। तनकी संख्या 5 एडवर्स पजेशन के आधार पर है। जो प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्वीकार की गयी है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय के ऑपरेटिव पॉरशन में वादग्रस्त भूमि में से वादी को नये खसरा नबंरान के अनुसार कुल रकबा 4.18 हेक्टेयर में से वादी को 1.20 हेक्टेयर का खातेदार घोषित करते हुये पृथक से बंटवारा कर प्रारम्भिक डिक्री पारित की है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के ऑपरेटिव पॉरेशन में इस बिन्दू तक कोई विवादन नही है कि वादी वाद पत्र में अंकित आराजी का सह खातेदार है तथा वादपत्र के चरण संख्या–4 एवं ऑपरेटिव पॉरशन में अंकित 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्से का अर्थात् कुल 1/6 हिस्से का सह खातेदार है। शेष अन्य भूमि पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार अन्य सह खातेदारों की है जिसमें प्रतिवादी संख्या–1 लगायत 4 पैतृक सम्पति के रूप में सह खातेदार दर्ज है। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा जो प्रारम्भिक डिक्री पारित की जानी चाहिये थी वह कुल आराजी कुल किता 12 कुल रकबा 45 बीघा 1 बिस्वा में से वादी का 1/6 हिस्सा वादी को एवं शेष हिस्सा अन्य सह खातेदारों के मध्य उनके हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने की प्रारम्भिक डिक्री पारित की जानी चाहिये थी।

विचारण न्यायालय ने दिनांक 6–1–2003 को जो निर्णय पारित किया है। उसमें तनकी संख्या 1 से 5 तक सभी वादी के पक्ष में निर्णीत की गयी है एवं उक्त तनकियों पर जो निर्णय पारित किया गया है उसको प्रत्यर्थीगण द्वारा चुनौती नहीं दी गयी और न ही कोई अपील पेश की गयी है।

8– विचारण न्यायालय ने जो तनकीवार निर्णय पारित किया है वह आदेश–20 नियम–5 सीपीसी की पालना करते हुये पारित किया है, लेकिन तनकीवार जो विवेचन किया गया है। उसका ऑपरेटिव पॉरशन में अंकन नहीं किया गया है। जिसके अभाव में निर्णय की पालना किया जाना कानूनी रूप से संभव नहीं है। इसलिये प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6–1–2003 में पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देकर तनकीवार निर्णय को ध्यान में रखते हुये। प्रारम्भिक डिक्री में आवश्यक संशोधन करने का जो निर्णय पारित किया है। वह विधि सम्मत है। वर्तमान अपीलार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष क्रोस ऑब्जेशन प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि आदेश दिनांक 6–6–2005 अपील योग्य नहीं है और धारा 151 व 152 सीपीसी की कोई अपील पोषणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय के बिन्दू संख्या 2, 3 व 4 को अवैध घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध पारित डिक्री को अपास्त किया जावे। अपीलीय न्यायालय ने उक्त क्रोस ऑब्जेशन को आंशिक रूप से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–6–2005 को निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि निर्णय दिनांक 6–1–2003 में पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देकर तनकीवार निर्णय को ध्यान में रखते हुये प्रारम्भिक डिक्री में आवश्यक संशोधन करे। राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित मूल निर्णय व डिक्री दिनांक 6–1–2003 एवं आदेश दिनांक

6–6–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी थी। अपीलीय न्यायालय ने मूल अपील व डिक्री दिनांक 6–1–2003 को यथावत कायम रखकर आदेश दिनांक 6–6–2005 को निरस्त कर प्रारम्भिक डिक्री में आवश्यक संशोधन के आदेश दिये है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा नहीं होते है क्योंकि प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के तथ्यों एवं वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में भिन्नता है। वर्तमान प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 6–1–2003 में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–151, 152 प्रस्तुत किया गया था। जिसे विचारण न्यायालय ने खारिज किया और राजस्व अपील प्राधिकारी ने तनकीवार निर्णय को ध्यान मे रखते हुये प्रारम्भिक डिक्री में आवश्यक संशोधन के आदेश दिये है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–6–2005 निर्णय दिनांक 6–1–2003 का ही भाग है। इसलिये प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

9– परिणामस्वरूप अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–10–2005 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर सिंह सान्दू) (राजेश्वर सिंह)
सदस्य अध्यक्ष